

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 1817/रा०, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गेल (इण्डिया) लि० द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइप लाईन विछाने के निमित्त गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल मझोला साखु, मझोला जंगल इत्यादि) जो जिला-सिमडेगा अंचल-जलडेगा मौजा- कारीमाटी थाना न०- 80 खाता न०- 204 प्लॉट न०- 16,14 किस्म- जंगल झाड़ी, कुल रकबा-0.1371 हेक्टेयर तथा मौजा- किनीरकेला थाना न०-79 खाता न०-51 प्लॉट न०- 87,61,450,1111 किस्म- जंगल मझोला, साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा- 0.2349 हेक्टेयर, मौजा- जलडेगा थाना न०-64 खाता संख्या-178 प्लॉट न०- 1421,3867 किस्म- जंगल झाड़ी कुल रकबा- 0.0958 हेक्टेयर मौजा- टांगिया थाना न०-63 खाता न०-94 प्लॉट न०- 1043,1079,536,437,407,406 किस्म- जंगल मझोला साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा- 0.2001 हेक्टेयर, मौजा- हुटुआ थाना न०-36 खाता न०-126,94 प्लॉट न०- 2303,2820,2287,2754,2792,2999,2292,2954,2957,2959 किस्म- जंगल मझोला साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा- 0.3692 हेक्टेयर, मौजा- लमडेगा थाना न०-37 खाता न०-46,2 प्लॉट न०- 711,63 किस्म- जंगल मझोला साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा- 0.1257 हेक्टेयर, मौजा- लमडेगा थाना न०-35 खाता न०-82 प्लॉट न०-3933,4030,4252,3858,4657,5034,5024 किस्म- जंगल मझोला साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा- 0.6070 हेक्टेयर, में सनहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अंचल अधिकारी,
जलडेगा।

उप समाहता भूमि सुधार,
सिमडेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सिमडेगा।

अपर समाहता,
सिमडेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गेल (इण्डिया) लि0 द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाने के निमित्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) जो जिला- सिमडेगा अंचल- बांसजोर मौजा- बोंगेरा थाना नं0- 16 खाता नं0- 142 प्लॉट नं0- 2508,990,955,853,2379,2345,2277,2508,2817,2888, किस्म- जंगल झाड़ी कुल रकबा- 0.9157 हेक्टेयर तथा मौजा- डोंगापानी थाना नं0- 17 खाता संख्या- 113 खेसरा संख्या- 2191,2073,1959,2019,2033, किस्म- जंगल झाड़ी/मझोला जंगल कुल रकबा- 0.3537 हेक्टेयर, में सनहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

15/6/18
अंचल अधिकारी,
बांसजोर।

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
सिमडेगा।

अनुमंडल पदधिकारी,
सिमडेगा।

15/6/18
अपर संग्रहर्ता,
सिमडेगा।

15/6/18
उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 1817/रा0. दिनांक 30.04.2015 के आदेश में प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गैर (इण्डिया) लि0 द्वारा जगदीशपुर-हल्द्वारा-दोकारो-धामरा प्राकृतिक गैर पर्यटन स्थल विद्यमान के निमित्त गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल मझोला साखु, मझोला जंगल इत्यादि) का जिला- सिमडेगा अंचल-कोलेबिरा मौजा बड़केतुंगा थाना न0- 107 खाता न0- 60 प्लॉट न0- 737 कि.एम. जंगल झाड़ी कुल रकबा-0.0240 हेक्टेयर तथा मौजा कुदावेडा थाना न0- 104 खाता संख्या-43 खेसरा संख्या-295,299,1003 एवं 973 कि.एम. जंगल मझोला साखु एवं मझोला जंगल कुल रकबा 0.1179 हेक्टेयर एवं मौजा लक्ष्मणगढ़ थाना न0-81 खाता संख्या 237 खेसरा संख्या- 4782,4788,5335,5286,5285,5224,5138 एवं 5149 कि.एम. जंगल झाड़ी कुल रकबा 0.5253 हेक्टेयर में सम्मिलित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अग्रगण्य हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अंचल अधिकारी,
कोलेबिरा।

उप समहता भूमि सुधार,
सिमडेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
सिमडेगा।

अपर समहता,
सिमडेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या- 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गेल (इण्डिया) लि0 द्वारा जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के निमित्त गैरमजूरआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) जो जिला- सिमडेगा अंचल- बानो मौजा- सिमहातु थाना न0- 84 खाता न0- 276 प्लॉट न0- 26, 2462 किस्म- जंगल झाड़ी कुल रकबा-0.0474 हेक्टेयर तथा मौजा बोरोसेता थाना न0-85 खाता संख्या-128 खेसरा संख्या-162,170,544,113,1471,1469,1466,1442,एवं 1445 किस्म जंगल झाड़ी/मझोला जंगल कुल रकबा-0.325 हेक्टेयर, मौजा बिरता थाना न0-91 खाता संख्या 104 खेसरा संख्या- 426,417,409,598,586,1518,1809,1816,1890,2115,एवं 2110 किस्म- जंगल झाड़ी/मझोला जंगल कुल रकबा- 0.7955 हेक्टेयर, मौजा कुरुचडेगा थाना न0-90 खाता संख्या- 86 खेसरा संख्या-1694एवं 1677 किस्म- जंगल झाड़ी कुल रकबा-0.0575 हेक्टेयर, मौजा कोनसोदे थाना न0- 88 खाता संख्या- 132 खेसरा संख्या-804 किस्म- जंगल झाड़ी रकबा-0.0318 हेक्टेयर,में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, क अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजूरआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजूरआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अंचल अधिकारी,
बानो।उप समाहरण भूमि सुधार,
सिमडेगा।अनुगण्डल पदाधिकारी,
सिमडेगा।अपर समाहर्ता,
सिमडेगा।उपायुक्त,
सिमडेगा।

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जगदीशपुर - हल्दिया - बोकारो - धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के निमित्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया जाता है।

एतद् आलोक में गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि का जिला सिमडेगा अंचल बांसजोर एवं जलडेगा के अंतर्गत निर्माकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है -

अंचल	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा हे० में	किस्म	अयुक्ति
बांसजोर	बोंगेरा	16	142	2508	0.0696	जंगल-झाड़ी	
				2930	0.2333	जंगल-झाड़ी	
जलडेगा	डोंगापानी	17	113	2068	0.4416	जंगल झाड़ी	
				2628	0.0727	जंगल झाड़ी	
	टंगिया	63	94	2992	0.0152	जंगल झाड़ी	
				2962	0.0848	जंगल झाड़ी	
लमडेगा		37	46	1	0.0446	जंगल झाड़ी	
					0.9618		

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर हैं, गेल (इंडिया) लिमिटेड को जगदीशपुर - हल्दिया - बोकारो - धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि -

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोजन एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरफ प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।
- गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क/निशुल्क हस्तांतरण/ लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

16/3/19

अचल अधिकारी अचल अधिकारी

17/5/19

17/5/19

सी

17/5/19

समाहरणालय, सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अन्तर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जगदीशपुर - हल्दिया - बोकारो - धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन बिछाने के निमित्त गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया जाता है।

एतद् आलोक में गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि का जिला सिमडेगा अंचल बांसजोर एवं जलडेगा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है -

अंचल	ग्राम	धाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा हे० में	किस्म	अभ्युक्ति
बांसजोर	बोंगेरा	16	142	2275	0.0408	जंगल-झाड़ी	
जलडेगा	कारीमाटी	80	165	54	0.0436	जंगल-झाड़ी	
	हुटुआ	36	94	3407	0.0065	जंगल-झाड़ी	
	लमडेगा	37	46	719	0.0255	जंगल-झाड़ी	
					0.1164		

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर हैं, गेल (इंडिया) लिमिटेड को जगदीशपुर - हल्दिया - बोकारो - धमरा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि -

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोजन एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर की जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।
- गैर मजरूआ जंगल- झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण/ लीज बन्तोंबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

13/5/19

13/5/19

अधिकारी

सिमावसी

अनुमोदित

अपर समाहर्ता,

सिमडेगा।

उपायुक्त,

सिमडेगा।